राजस्थान–सरकार

–:: न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान) ::–

(बईजलास : श्री इन्द्रजीत सिंह, आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 1/2014 दायर दिनांक :– 19.06.2014

फैसल दिनांक :– 08.07.2015

श्री सरकार जरिए जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर

–प्रार्थी–

–: बनाम :–

श्री दिनेश पिता बाबूलाल कलाल निवासी वीरपुर (मेवाडा) तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर

–विपक्षी–

" प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम "

–: निर्णय :–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा विरूद्ध विपक्षी के इस आशय का प्रस्तुत किया है कि दिनांक 15.5.2015 को पुलिस थाना रामसागडा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियन्त्रित दर के केरोसीन का विपक्षी के यहां अवैध भण्डारन करने की शिकायत जिला रसद अधिकारी को शिकायत की जाने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा मोतबिरान के रूबरू विपक्षी के यहां जांच की गई। जांच के दौरान विपक्षी के मालिकाना परिसर में एक केरोसीन से भरा ड्रम पाया गया जिसका नाप करने पर कुल 215 लीटर केरोसीन पाया गया। उक्त अवैध भण्डारित केरोसीन को जप्त सरकार कर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना रामसागडा को सुपुर्द किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रकरण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि पुलिस थाना रामसागडा द्वारा ग्राम विरपुर मेवाडा में विपक्षी के यहा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नियन्त्रित दर केरोसीन का अवैध भण्डारण की शिकायत पर कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी श्री मनीष भटनागर द्वारा रात्रि में 11.50 पर पुलिस थाना मेवाडा के हेडकास्टेबल श्री राजकुमार की मौजदुगी में मौका जांच की गई। मौके पर विपक्षी के स्वामित्व वाली जगह पर एक केरोसीन से भरा ड्रम बताया गया। उक्त ड्रम में रखे पेट्रोलियम पदार्थ का नाप करने पर कुल 215 लीटर केरोसीन पाया गया। विपक्षी ने मौके पर बताया कि उक्त केरोसीन के भण्डारण स्थल का मालिकाना हक उनका हे। नीले रंग का केरोसीन का राजेश एवं सचिन जैन द्वारा जरिये 407 टेम्पो द्वारा परिवहन करना बताया। विपक्षी द्वारा केरोसीन भण्डारण/व्यवसाय करने बाबत कोई वैध दस्तावेज वक्त मौका जांच उपलब्ध नही कराये गये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को राशन कार्ड नियन्त्रित दर पर देय केरोसीन के अवैध रूप से निजी लाभ हेतु संग्रहण करना पाया जाने पर उक्त 215 लीटर केरोसीन को विपक्षी के कब्जे से प्राप्त कर जप्त सरकार कर पुलिस थाना रामसागडा को सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्द किया गया। जप्त शुदा केरोसीन की सेम्पलींग तैयार कर पृथक से कार्यवाही की गई। दिनांक 20.5.2014 को मेवाडा निवासी राकेश एवं सचिन ने जिला रसद कार्यालय में उपस्थित होकर

Scanned by CamScanner

केरोसीन तेल का परिवहन नही करना एवं न ही उनके द्वारा नियन्त्रित दर केरोसीन का व्यवसाय करने का लिखित कथन किया है। मेवाडा स्थित एवं आस–पास शरम एवं नारेली की उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किये जाने पर इनमें केरोसीन के स्टोक बाबत अनियमितता नही पाया जाना प्रार्थना पत्र में अंकित है। विपक्षी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण किये जाने वाले केरोसीन का बिना किसी प्राधिकार पत्र, सक्षम अनुज्ञापन एवं वैद्य दस्तावेज के अभाव में निजी लाभ/व्यवसाय हेतु केरोसीन का अवैध भण्डारण किया जाना नियम विरूद्ध है, जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन होने के साथ–साथ पी.डी.एस. कन्ट्रोल एक्ट 2001 के खण्ड 6(4) (1) के तहत डायवर्जन की श्रेणी में आने से उक्त जप्त शुदा 215 लीटर केरोसीन को राजसात करने का प्रार्थी ने मांग की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से वकालतनामा पेश किया गया एवं जवाब प्रस्तुत किया गया।

विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार उनके द्वारा जप्त शुदा केरोसीन का अवैध भण्डारण नही किया है तथा न ही केरोसीन के अवैध भण्डारण के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी है। जप्त शुदा केरोसीन रोड की साईड में खुले में रखा हुआ था जिस पर किसी प्रकार का मिलाकांना हक नही है। उक्त जप्त शुदा केरोसीन विपक्षी का नही होना जबाव में अंकित है। जप्त शुदा केरोसीन उनका नही होने से राजसात किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ती नही होना विपक्षी बताया है। जप्तु शुदा केरोसीन श्री सुरेश पिता शंकरलाल जैन निवासी मेवाडा द्वारा रखे जाने बाबत बाद में जानकारी मिलना विपक्षी ने अपने जवाब में बताया है। उक्त केरोसीन श्री सुरेश जैन द्वारा रोड के किनारे पर रखवाया जाने से विपक्षी की किसी प्रकार की भूमिका नही रही है तथा न ही अवैध पदार्थ भण्डारण होने की जानकारी है। उक्त जप्त शुदा केरोसीन उनका नही है तथा इसके अवैध भण्डारण उनके द्वारा नही किये जाने से राजसात करने में कोई आपत्ती नही होना विपक्षी द्वारा बताया गया।

विभागीय पैरोकार एवं वकील विपक्षी की बहस समायत की गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य एवं वकील विपक्षी ने जवाब के अपने–अपने तथ्यों को पुनर्राव्यक्त किया।

हमारे द्वारा पक्षकारों की बहस पर मनन किया गया, तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि मौका जांच कर्ता को विपक्षी के स्वामित्व वाली जगह पर अवैध भण्डारित एक ड्रम केरोसीन पाया गया, जो 215 लीटर है। जप्त शुदा केरोसीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नियन्त्रित दर का होना भी पाया गया जो नीले रंग का था। जिसकी पुष्टि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट दिनांक 5.12.2014 से होती है। वकील विपक्षी का यह कथन कि उक्त अवैध भण्डारित केरोसीन का ड्रम खुले में रखा था, वह विपक्षी के स्वामित्व की जगह नही है। मौका जांच के

Scanned by CamScanner

समय विपक्षी द्वारा भण्डारण स्थल का मालिकाना हक उनका होने की पुष्टि की है। एक ड्रम केरोसीन (215 लीटर) मौतबिरान व पुलिस के रूबरू किया, तथा जिस स्थल पर केरोसीन का ड्रम पाया गया वह स्थल विपक्षी का होने की पुष्टि मौतबिरान से होती है। वकील विपक्षी ने अवैध भण्डारित केरोसीन ड्रम का स्थल उनका नही होने के प्रमाण में कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नही किय है, जिससे उनका यह कथन प्रमाणित नही होता है। वकील विपक्षी का यह कथन भी प्रमाणित नही होता है कि अवैध भण्डारित केरोसीन श्री राकेश, सुरेश जैन का है, चूँकि उक्त केरोसीन उनका नही होने की लिखित रिपोर्ट पेश की है। विपक्षी द्वारा मौखित कथन करने से यह तथ्य काल्पनिक पाये गये। मौके पर रखा गया एक ड्रम केरोसीन किसी अन्य द्वारा रोड के साईड में विपक्षी के स्वामित्व के जगह पर रखा था तो विपक्षी को चाहिये था कि वह सक्षम अधिकारिता /पुलिस थाना में तत्काल इसकी सूचना देता, जबकि विपक्षी द्वारा ऐसा नही किया जिससे स्पष्ट है कि उक्त अवैध भण्डारित केरोसीन विपक्षी द्वारा ही रखवाया गया। विपक्षी द्वारा उक्त केरोसीन को भण्डारित करने के कोई वैद्य अनुज्ञापन नही होना पाया गया। विपक्षी का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नियन्त्रित दर का केरोसीन काला बाजारी की नियत से भण्डारित किया गया जाना पाया जाता है। जो राजस्थान खाद्यान्न एव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(2) का उल्लघन होने के साथ–साथ पी.डी.एस. कन्ट्रोल एक्ट 2001 की धारा 6(4)(1) का भी उल्लघन पाया गया है। उक्त स्थिति में विपक्षी के स्वामित्व वाली जगह पर अवैध भण्डारित एक ड्रम केरोसीन (215 लीटर) को राजसात किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी के स्वामित्व की जगह पर अवैध रूप से भण्डारित एक ड्रम केरोसीन (215 लीटर) को धारा 6 ए (1) ई.सी. एक्ट के तहत राजसात/जब्त सरकार करते हुये केरोसीन को नजदीकि उंचित मूल्य की दुकान के अधिकृत विक्रेता के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम दर पर वितरण कराकर उससे प्राप्त राशि जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर में जमा रखने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डूंगरपुर उक्त 215 लीटर केरोसीन का उपरोक्तानुसार निस्तारण करावे। विपक्षी द्वारा अवैध रूप से केरोसीन भण्डारण करने से धारा 3/7 ई.सी.एक्ट के तहत उनके विरूद्ध नियमानुसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। पालना हेतु निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2015 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

पत्रावली बाद तकमील फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner